

## न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक : .....

PBR/निगरानी/राजगढ़/क्र.स/2017/4179

जगदीश आत्मज स्व. रामचरण

आयु वयस्क, जाति देशवाली

निवासी - ग्राम धनखेड़ी, टप्पा कुरावर,

तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़

.....

प्रार्थी

विरुद्ध

01. तारा बाई पत्नी रामचरण, वयस्क
  02. संतोष बाई पुत्री रामचरण, वयस्क
  03. उर्मिला बाई पुत्री रामचरण, वयस्क
  04. मनीषा पुत्री रामचरण, वयस्क
  05. रचना पुत्री रामचरण, वयस्क
  06. जितेन्द्र पुत्र रामचरण, वयस्क
- समस्त निवासीगण - बस स्टैण्ड के पास,  
ग्राम कुरावर, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़
07. गायत्री बाई पुत्री रामचरण, वयस्क
- निवासी - ग्राम धनखेड़ी, टप्पा कुरावर,  
तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़

..... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरुद्ध आदेश  
दिनांक 22.09.2017, जो प्रकरण क्र. 29/अ-6/2016-17 में  
न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, टप्पा कुरावर, तहसील  
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2017/4179


स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

7-11-2017

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 22-9-17 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 11-5-17 से आज तक व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।



  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष